ए.

भारतीय ओवरसीज बैंक बनाम.

मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और एक और (2021 की सिविल अपील संख्या 4750)

बी.

18 मई, 2022

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:एसएस।238, 10, 14 – अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए संहिता के प्रावधान-तथ्यों पर, कॉर्पोरेट देनदार ने एक दिवालिया याचिका दायर की।10 आई. डी. 3 पर-एन. सी. एल. टी. ने आई. डी. 2 पर याचिका स्वीकार की, अधिस्थगन को अधिसूचित किया गया और अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया-इस बीच अपीलकर्ता बैंक ने आई. डी. 4 पर दूसरा ई-नीलामी नोटिस जारी किया, ताकि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लिए गए सार्वजनिक धन की वसूली की जा सके-इसके बाद, बैंक द्वारा ई-नीलामी आयोजित की गई, संपत्तियों को बेचा गया, बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया और बिक्री <आई. डी. 1 पर पूरी की गई-कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन दायर किया कि बैंक द्वारा की गई सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान प्रतिभूति प्राप्ति को अलग रखा जाए या वैकल्पिक रूप से विवादित लेनदेन को रद्द किया जाए-एन. सी. एल. टी. ने कॉर्पोरेट देनदार के स्वामित्व वाली संपत्ति की बिक्री को दरकिनार कर दिया-इसके खिलाफ अपीलसी. आई. आर. पी. के प्रारंभ के बाद, एस. के. की दृष्टि में एस. ए. आर. एफ. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्वनिर्धारित करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण निषेध है।14(1)(ग) आर. डब्ल्यू. एस.238 जिनका किसी भी अन्य कानून पर प्रबल प्रभाव पड़ता है-तथ्यों पर, शेष राशि को अपीलार्थी बैंक द्वारा 8.03.2019 पर स्वीकार किया गया था-वैधानिक योजना के तहत बिक्री जैसा कि यू/आरआर में विचार किया गया था।8 और 9 केवल 8.03.2019 पर पूरा होगा, जो 03.01.2019 के बहुत बाद आता है, यानी, जिस तारीख को CIRP शुरू हुआ था और स्थगन का आदेश दिया गया था-इस तरह, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आंशिक भुगतान की प्राप्ति पर बिक्री पूरी हो गई थी-अपीलकर्ता

बैंक एक बार CIRP शुरू होने और स्थगन का आदेश दिए जाने के बाद SARFESI अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था-इस प्रकार, NCLT और NCLAT के आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।धारा 13-प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियम-आर.8,9.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1090

1091

भारतीय ओवरसीज बैंक बनाम मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य ए

ए.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः**1.1** यह स्पष्ट है कि सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को लागू करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए रोक है। यह स्पष्ट है कि एक बार सी. आई. आर. पी. शुरू हो जाने के बाद, अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को बंद करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण निषेध है।"सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित" शब्द महत्वपूर्ण हैं।विधायी इरादा स्पष्ट है कि सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, किसी भी सुरक्षा हित को रोकने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित सभी कार्रवाई निषिद्ध हैं।**[**पैरा **24] [1100-**ई**-**जी**]**

बी.

सी.

1.2 एस के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।**238** आई**.** बी**.** सी**.,** आई**.** बी**.** सी**.** के प्रावधानों का प्रभाव होगा**,** इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।**[**पैरा **26] [1101-**ए**]**

डी.

1.3 तत्काल मामला एक वैधानिक बिक्री से उत्पन्न होता है।बिक्री उक्त नियमों के नियम **8** और **9** द्वारा नियंत्रित होगी।बिक्री तभी पूरी होगी जब नीलामी खरीदार पूरा भुगतान करेगा और बिक्री की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकृत अधिकारी उक्त नियमों के परिशिष्ट **5** में दिए गए प्रपत्र में खरीदार के पक्ष में संपत्ति की बिक्री का प्रमाण पत्र जारी करेगा।**[**पैरा **32] [1102-**एफ**-**जी**]**

ई.

1.4 तत्काल मामले में**,** शेष राशि अपीलार्थी बैंक द्वारा **8** मार्च **2019** को स्वीकार कर ली गई है।उक्त नियमों के नियम **8** और **9** के तहत विचार की गई वैधानिक योजना के तहत बिक्री केवल **8** मार्च **2019** को पूरी होगी।मान लीजिए**,** यह तारीख **3** जनवरी **2019** के काफी बाद आती है**,** यानी जिस तारीख को सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** शुरू हुआ था और स्थगन का आदेश दिया गया था।इस प्रकार**,** यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आंशिक भुगतान की प्राप्ति पर बिक्री पूरी हो गई थी।**[**पैरा **34] [1103-**बी**-**सी**]**

एफ.

जी.

1.5 आई**.** बी**.** सी**.** की धारा **14 (1) (**सी**)** के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए**,** जो किसी अन्य कानून पर ओवरराइडिंग प्रभाव डालते हैं**,** आई**.** बी**.** सी**.** द्वारा बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को पूर्ववत करने**,** पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई।

एच.

निगमित देनदार अपनी संपत्ति के संबंध में सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित निषिद्ध है।एक बार सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** शुरू होने और स्थगन का आदेश दिए जाने के बाद अपीलकर्ता बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था। **[**पैरा **35] [1103-**सी**-**डी**]**

1.6 अपीलकर्ता बैंक का यह निवेदन कि निगमित देनदार द्वारा दायर याचिका दुर्भावनापूर्ण थी**,** स्वीकार नहीं किया जा सकता है।अपीलार्थी बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सभी

विवरणों का कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर याचिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जहां तक परिसमापन आदेश पारित किए जाने के संबंध में प्रस्तुत करने का संबंध है, वह पहले से ही एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती के अधीन है। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। **[**पैरा **36** और **37] [1103-**ई**-**एफ**]**

बी.

सी.

विद्याधर बनाम माणिकराव और एक अन्य **(1999) 3** एस. सी. सी. **573:[1999] 1** एससीआर **1168;** बी. अरविंद कुमार बनाम सरकार

डी.

भारत और अन्य (2007) 5 एस. सी. सी. 745; कालियापेरुमल बनाम राजगोपाल और एक अन्य (2009) 4 एस. सी. सी. 193:[2009] 2

एस. सी. आर. **814;** हिंडन फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,

गाजियाबाद और दूसरा (2019) 2 एस. सी. सी. 198:[2018] 11

एस. सी. आर. **1019;** एस. कार्तिक और अन्य बनाम एन. सुभाष चंद

ई.

जैन और अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 787; आनंद

राव कोराडा, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल बनाम वर्षा फैब्रिक्स

प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2020) 14 एस. सी. सी. 198:[2019]

14 एससीआर **695;** इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई

बैंक और एक अन्य (2018) 1 एस. सी. सी. 407:[2017] 8 एससीआर

एफ.

33; प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (2018) 18 एस. सी. सी. 786; घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निदेशक और अन्य के माध्यम से (2021) 9 एस. सी. सी. 657; शकीना और एक अन्य बनाम बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी.

जी.

1059 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 1 एससीआर **1168**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12** ए

एच.

1093

भारतीय ओवरसीज बैंक बनाम मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य ए

(2007) 5 एस**.** सी**.** सी**. 745**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2009] 2 एससीआर **814**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2018] 11 एससीआर **1019**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2019] 14 एससीआर **695**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

बी.

[2017] 8 एससीआर **33**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

(2018) 18 एस**.** सी**.** सी**. 786**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

(2021) 9 एस**.** सी**.** सी**. 657**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.4750

सी.

2021.

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.736 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 26.03.2021 के अंतिम आदेश से।

तुषार मेहता, एस. जी., सी. एस. वैद्यनाथन, के. वी. विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, विकास मेहता, आदित्य नायर, आर. आनंद पद्मनाभन, ई. वेंकट सिद्धार्थ, राहुल गुप्ता, एस. संतनम स्वामीनाथन, कार्तिक मल्होत्रा, अभिलाषा श्रवण, हिमानी ठाकुर, जे. मणिवन्नन, (आरपी), आर. वेंकटरमण, राहुल सांगवान, श्रीमती आरती राजन, आदित्य वर्मा, सुश्री प्रियंवदा मिश्रा, ऋग्वेद प्रसाद अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

ई.

बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.**

1. यह अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (इसके बाद "एन. सी. एल. ए. टी". के रूप में संदर्भित) द्वारा 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 736 में 26 मार्च 2021 को पारित निर्णय को चुनौती देती है, जिससे वर्तमान अपीलकर्ता-इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है, जो बदले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, हैदराबाद बेंच-1, हैदराबाद (इसके बाद "एन. सी. एल. टी". के रूप में संदर्भित) द्वारा 2019 के आई. ए. No.832 में सी. पी. में पारित 15 जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। (आई. बी.) सं. 601/10/एच. डी. बी./2018, जिसके माध्यम से विद्वान एन. सी. एल. टी. ने प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी थी, इसमें प्रत्यर्थी सं. 1 के पूर्व प्रबंध निदेशक-मेसर्स

आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जिसे इसके बाद "कॉर्पोरेट देनदार" के रूप में संदर्भित किया गया है) और कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों की बिक्री को अलग कर दिया।

एफ.

जी.

एच.

1094

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

2. वर्तमान अपील दायर करने को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी बैंक ने निगमित देनदार को कुछ ऋण सुविधाएँ प्रदान की थीं।हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार बकाया चुकाने में विफल रहा और कॉर्पोरेट देनदार का ऋण खाता अनियमित हो गया।इस प्रकार, 13 जून 2016 को कॉर्पोरेट देनदार के ऋण खाते को "गैर-निष्पादित परिसंपत्ति" (एन. पी. ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया।

बी.

3. अपीलार्थी बैंक ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (2) के तहत एक मांग सूचना जारी की, जिसमें निगमित ऋणदाता और उसके गारंटरों से अपीलार्थी बैंक को देय बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया।चूंकि निगमित ऋणदाता मांग सूचना का पालन करने और बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए अपीलकर्ता बैंक ने विशेष रूप से अपने साथ गिरवी रखी गई दो सुरक्षित संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया।ऐसा ही अपीलार्थी बैंक द्वारा सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था।उक्त संपत्तियों में से एक कॉर्पोरेट देनदार के नाम पर और दूसरी कॉर्पोरेट गारंटर के नाम पर थी।कॉरपोरेट देनदार द्वारा लिए गए सार्वजनिक धन की वसूली के लिए अपीलकर्ता बैंक द्वारा 27 सितंबर 2018 को एक ई-नीलामी नोटिस जारी किया गया था।

सी.

डी.

ई.

4. इस बीच, 22 अक्टूबर 2018 को, कॉर्पोरेट देनदार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "आईबीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के तहत सी. पी. (आई. बी.) संख्या 601/10 एच. डी. बी./2018 के रूप में एक याचिका दायर की। 6 नवंबर 2018 को आयोजित पहली ई-नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।इस प्रकार, दूसरा ई-नीलामी नोटिस 27 नवंबर 2018 को जारी किया गया था, जो 12 दिसंबर 2018 को आयोजित होने वाला था।दूसरी ई-नीलामी में, तीन व्यक्ति संयुक्त रूप से एक करोड़ रुपये की कीमत की पेशकश करके सफल बोलीदाता बन गए। दोनों सुरक्षित परिसंपत्तियों के लिए 32.92 करोड़।13 दिसंबर 2018 को सार्वजनिक नीलामी में सफल बोलीदाताओं/नीलामी खरीदारों के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की गई थी।सफल बोलीदाताओं ने बोली राशि का 25 प्रतिशत जमा किया, अर्थात रु। उक्त राशि की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट सहित 8.23 करोड़ रुपये और अपीलार्थी बैंक ने उन्हें बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया।नीलामी खरीदारों को बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत 15 दिनों के भीतर, यानी 28 दिसंबर 2018 से पहले भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

एफ.

जी.

एच.

1095

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

5. ऐसा प्रतीत होता है कि नीलामी खरीदारों ने 28 दिसंबर 2018 को अपीलकर्ता बैंक को एक पत्र संबोधित किया जिसमें सुरक्षित संपत्तियों के शांतिपूर्ण और खाली कब्जे को सौंपने की मांग की गई थी और बोली राशि के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए 8 मार्च 2019 तक समय बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया था।नीलामी खरीदारों द्वारा किए गए अनुरोध को अपीलकर्ता बैंक द्वारा 29 दिसंबर 2018 को स्वीकार कर लिया गया था।यह अपीलार्थी बैंक का मामला है कि उसने उक्त नियमों के नियम 9 (4) (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोली राशि के शेष 75 प्रतिशत के भुगतान के लिए अवधि 8 मार्च 2019 तक बढ़ा दी।

बी.

6. विद्वान एन. सी. एल. टी. ने 3 जनवरी 2019 के आदेश के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणदाता के पूर्व प्रवर्तक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत पारित उक्त आदेश के परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट ऋणदाता की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान

प्रक्रिया (जिसे इसके बाद "सी. आई. आर. पी". के रूप में संदर्भित किया जाता है) शुरू हुई। आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत प्रदान की गई रोक को अधिसूचित किया गया था और एक अंतरिम समाधान पेशेवर (जिसे इसके बाद "आई. आर. पी". के रूप में संदर्भित किया गया है) को भी नियुक्त किया गया था।

सी.

डी.

7. अपीलार्थी बैंक ने 21 जनवरी 2019 को आई. आर. पी. के साथ दावा प्रपत्र-सी में अपना दावा दायर किया, जब उसे कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर दिवालिया याचिका के प्रवेश के बारे में पता चला।अपीलार्थी बैंक के अनुसार, चूंकि बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत अभी तक उक्त तिथि पर प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसे आई. आर. पी. के समक्ष दायर दावे से बाहर नहीं किया गया था। सी. आई. आर. पी. के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता बैंक ने बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत, यानी रु. 8 मार्च 2019 को 24.69 करोड़।भुगतान की प्राप्ति पर, अपीलकर्ता बैंक ने 11 मार्च 2019 को आई. आर. पी. को दावा प्रपत्र-सी में अपना संशोधित दावा प्रस्तुत किया।अपीलार्थी बैंक ने आई. आर. पी. को उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों की सफल बिक्री के बारे में भी सूचित किया।इसके बाद निगमित ऋणदाता के प्रवर्तक, अर्थात इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 ने लंबित कंपनी याचिका में आई. ए. No.832 2020 के रूप में एक आवेदन दायर किया, जो सी. पी. (आई. बी.) संख्या 601/10 एच. डी. बी./2018 है, जिससे विद्वान एन. सी. एल. टी. से अपीलकर्ता बैंक द्वारा की गई सी. आई. आर. पी. अवधि के दौरान या विवादित लेनदेन को रद्द करने के विकल्प में प्रतिभूति प्राप्ति को अलग करने का अनुरोध किया जाता है।15 जुलाई 2020 के आदेश के माध्यम से, विद्वान एन. सी. एल. टी. ने एक आदेश पारित किया जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर उक्त आवेदन को अनुमति दी गई और कॉर्पोरेट देनदार के स्वामित्व वाली संपत्ति की बिक्री को अलग कर दिया गया।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी बैंक ने कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 736 2020 के रूप में एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक अपील दायर की और इसे 26 मार्च 2021 के विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया।इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील।

ई.

एफ.

जी.

एच.

8. हमने अपीलकर्ता बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, अग्रणी आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. विद्यानाथन, अर्थात् नीलामी खरीदारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य वर्मा को सुना है।

बी.

9. श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि कॉर्पोरेट ऋणदाता के पूर्व प्रवर्तक द्वारा आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत स्वैच्छिक दिवालिया कार्यवाही की शुरुआत दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी और आई. बी. सी. की धारा 65 से प्रभावित थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार के ऋण खाते को 13 जून 2016 को "एन. पी. ए". के रूप में वर्गीकृत किया गया था।इसके बाद 18 अप्रैल 2018 को अपीलकर्ता बैंक ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि कॉर्पोरेट देनदार भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए अपीलकर्ता बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 10 के तहत एक प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया और 26 सितंबर 2018 को एक ई-नीलामी नोटिस जारी किया गया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त नोटिस को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा एसए नंबर 340/2018 के रूप में विद्वत ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, हैदराबाद (इसके बाद "डीआरटी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी।हालांकि, उक्त आवेदन में डी. आर. टी. द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत, डी. आर. टी. द्वारा 29 अक्टूबर 2018 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत बिक्री की पुष्टि पर रोक लगा दी गई थी, बशर्ते कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा Rs.12 करोड़ जमा किए जाएं।कॉर्पोरेट देनदार ऐसा करने में विफल रहा।उसके बाद, दुर्भावनापूर्ण इरादे से, भुगतान करने के बजाय, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बिक्री को रोकने के एकमात्र उद्देश्य के लिए आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत एक याचिका दायर की गई।उन्होंने आगे कहा कि दूसरा ई-नीलामी नोटिस 27 नवंबर 2018 को जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों संपत्तियों की बिक्री हुई।10. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए विद्वान एन. सी. एल. टी. का आदेश केवल 3 जनवरी 2019 को, यानी बिक्री की पुष्टि से पहले, पारित किया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सी. आई. आर. पी. केवल सरफेसी की कार्यवाही को रोकने के लिए शुरू की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि आई. बी. सी. की धारा 65 के संबंध में मुद्दा बाद में अपीलकर्ता बैंक द्वारा उठाया गया था, न तो विद्वान एन. सी. एल. टी. और न ही विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. ने इस पर विचार किया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. आर. पी. का दुर्भावनापूर्ण इरादा स्पष्ट है क्योंकि चूंकि पूर्व प्रवर्तक एक विश्वसनीय योजना प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए ज्ञात एन. सी.

एल. टी. ने 7 फरवरी 2022 के आदेश के माध्यम से परिसमापन का आदेश दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 7 फरवरी 2022 के उक्त आदेश का अवलोकन ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1097

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

यह पता चलेगा कि देरी आई. आर. पी. के कहने पर हुई थी, जिसे पूर्व प्रवर्तकों की मदद करते हुए देखा गया है।

11. श्री मेहता ने आगे कहा कि चूंकि आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत रोक आई. बी. सी. की धारा 52 के तहत परिसमापन का निर्देश देने वाले आदेश के पारित होने के बाद समाप्त हो गई है, इसलिए सुरक्षित लेनदारों को अपने सुरक्षा हित का एहसास करने की अनुमति दी गई थी।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब, अपीलार्थी बैंक पर अपना धन प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं है।12. श्री मेहता ने प्रस्तुत किया कि आई. बी. सी. की धारा 54 के प्रावधान को देखते हुए, अपीलकर्ता बैंक को बोली राशि का 25 प्रतिशत प्राप्त होने और उक्त की पुष्टि होने के बाद बिक्री पूरी हो गई थी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि बिक्री पर विचार का एक हिस्सा बाद में प्राप्त हुआ था, यह बिक्री को प्रभावित नहीं कर सकता है।इस संबंध में विद्याधर बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर एक संदर्भ रखा गया है।

बी.

सी.

माणिकराव और अन्य **1,** बी**.** अरविंद कुमार बनाम भारत सरकार और अन्य **2** और कालियापेरुमल बनाम राजगोपाल और अन्य **3**।

13. श्री मेहता द्वारा अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (सी) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. के तहत किसी भी कार्रवाई सहित किसी भी

सुरक्षा हित को रोकने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई में हस्तक्षेप करती है। हालाँकि, यह उन कार्यों को पूर्ववत नहीं करता है जो पहले ही पूरे हो चुके हैं।

डी.

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वैद्यनाथन ने भी अपीलकर्ता बैंक की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का समर्थन किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक दुर्भावनापूर्ण इरादे से मंच खरीदारी में शामिल हुए हैं और इस तरह, विद्वान एन. सी. एल. टी. को उनके पक्ष में राहत नहीं देनी चाहिए थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक प्रामाणिक खरीदार थे और उन्हें कब्जे में लिया गया था और इसलिए उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बंधक संपत्ति के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार का अधिकार संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (इसके बाद "टीपी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 60 के तहत मोचन का अधिकार है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया था, नीलामी या निविदा की सार्वजनिक सूचना जारी करने पर मोचन का अधिकार खो जाता है।15. श्री वैद्यनाथन ने आगे कहा कि निगमित ऋणदाता और आई. आर. पी. की दुर्भावनापूर्ण मंशा स्पष्ट है क्योंकि आवेदक नीलामी के सफल खरीदार थे और उन्हें एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार प्रत्यर्थीगण के रूप में शामिल नहीं किया गया था। भरोसा करना।

ई.

एफ.

जी.

1 (1999) 3 एससीसी 573 2 (2007) 5 एससीसी 745 3 (2009) 4 एससीसी 193

एच.

दिवाला विधि समिति रिपोर्ट, 2018 के पैराग्राफ (21) पर, श्री वैद्यनाथन ने प्रस्तुत किया कि लेनदारों की वैध अपेक्षाओं को बनाए रखने और वाणिज्यिक संबंधों में अधिक पूर्वानुमेयता को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्यिक कानूनों के तहत दिवाला से पहले साबित लेनदारों के अधिकारों और प्राथमिकताओं को बनाए रखा जाना चाहिए।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन ने विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित विवादित फैसले के साथ-साथ विद्वान एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुरक्षित परिसंपत्तियों के स्वामित्व को केवल बिक्री की पुष्टि पर नीलामी खरीदारों को पूर्ण बिक्री विचार प्राप्त करने से पहले भी नहीं बताया जा सकता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि पूर्ण विचार और बिक्री प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही शीर्षक पारित किया जाएगा।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की दलीलें सरफेसी अधिनियम, उक्त नियमों के साथ-साथ आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (सी), 31 (1) और 238 के विभिन्न प्रावधानों को देखते हुए पूरी तरह से विपरीत हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के तहत हस्तांतरण होने के बाद ही नीलामी खरीदारों को शीर्षक दिया जाएगा।वह फैसले पर निर्भर करता है

बी.

सी.

डी.

हिंडन फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में जिला मजिस्ट्रेट**,** गाजियाबाद और अन्य **4** के माध्यम से।

17. श्री विश्वनाथन ने आगे कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) स्वयं मालिक/देनदार को सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन का अधिकार प्रदान करती है।वह मामले में इस अदालत के फैसले पर निर्भर है।

ई.

एस**.** कार्तिक और अन्य बनाम एन**.** सुभाष चंद जैन और अन्य **5** में

इस प्रस्ताव का समर्थन करें।18. श्री विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि समाधान योजना (जिसे इसके बाद "आरपी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुमोदन पर, आईबीसी की धारा 31 (1) को देखते हुए, सभी ऋण कानूनी रूप से हल किए जाते हैं और यह कॉर्पोरेट देनदार, उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, सभी सरकारी बकाया सहित सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है और सफल समाधान आवेदक एक स्पष्ट स्लेट पर शुरू करने का हकदार होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक नए आर. पी. की मंजूरी पर एक नए अनुबंध के तहत लेनदार-देनदार के न्यायिक संबंध में बदलाव/विच्छेद हो जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप, पुराने अनुबंध के तहत बनाई गई प्रतिभूति कानून के संचालन द्वारा जारी की जाएगी और संबंध अनुमोदित योजना की शर्तों और इसके तहत बनाए गए बंधक द्वारा शासित होगा।

एफ.

जी.

4 (2019) 2 एससीसी 198

एच.

5 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 787 ए

1099

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

पुराना अनुबंध समाप्त/नया हो जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, आई. बी. सी. की धारा 238 को देखते हुए, उसमें निहित प्रावधान उस समय लागू अन्य सभी कानूनों पर हावी होंगे और आई. बी. सी. के प्रावधान किसी भी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज पर भी प्रबल होंगे।इस संबंध में आनंद राव कोराडा के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है।

बी.

पेशेवर बनाम वर्षा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य **6.**

19. श्री विश्वनाथन ने आगे कहा कि आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (सी) को देखते हुए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही सहित किसी भी कार्यवाही को जारी रखना पूरी तरह से अवैध है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई को जारी रखना और शेष बिक्री पर विचार की प्राप्ति आईबीसी की धारा 14 (1) (सी) का उल्लंघन था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निगमित देनदार द्वारा अन्य वित्तीय लेनदारों को देय राशि सी. आई. आर. पी. के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी बैंक द्वारा प्राप्त राशि से बहुत अधिक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत, सभी वित्तीय लेनदार कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर प्राप्त राशि में एक हिस्से के हकदार होंगे और अपीलकर्ता बैंक इसे पूरी तरह से नहीं रख सकता है।

सी.

डी.

20. श्री विश्वनाथन ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण आरोप केवल न्यायालय के प्रति पूर्वाग्रह रखने के लिए लगाए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 10 के तहत दायर याचिका में कॉर्पोरेट देनदार ने अपीलकर्ता बैंक और आंध्र बैंक दोनों द्वारा एन. पी. ए. की घोषणा और दोनों बैंकों द्वारा नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, कॉर्पोरेट ऋणदाता के ऋणों के समग्र समाधान के लिए आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही शुरू करने को दुर्भावनापूर्ण प्रयास के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि आई. बी. सी. की धारा 65 स्पष्ट

रूप से सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही से निपटने के लिए तंत्र और उपाय प्रदान करती है। हालाँकि, अपीलार्थी बैंक ने ऐसी कार्यवाही का सहारा नहीं लेने का फैसला किया है।इस प्रकार, दुर्भावनापूर्ण आरोपों को नहीं सुना जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

21. विद्वान अधिवक्ता श्री वर्मा ने भी विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित विवादित फैसले के साथ-साथ विद्वान एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश और श्री विश्वनाथन द्वारा किए गए प्रस्तुतियों का समर्थन किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता बैंक ने दिनांकित आदेश को कभी चुनौती नहीं दी है

6 (2020) 14 एससीसी 198

एच.

3 जनवरी 2019 में, जिसके माध्यम से एन. सी. एल. टी. ने सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि परिसमापन का आदेश विद्वान एन. सी. एल. टी. द्वारा 7 फरवरी 2022 को पारित किया गया था, लेकिन विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 8 मार्च 2022 को उस पर रोक लगा दी गई है।

22. श्री वर्मा द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, अपीलकर्ता बैंक ने स्वयं 21 जनवरी 2019 को दावा प्रपत्र-सी में 5 करोड़ रुपये की राशि के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया है। 79.94 करोड़, जिसमें परिसंपत्तियों का पूरा मूल्य शामिल था।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को यह तर्क देने से रोक दिया जाता है कि रु. सी. आई. आर. पी. के लिए उपलब्ध राशि में 8 करोड़ 23 लाख रुपये शामिल नहीं किए जा सकते हैं।

बी.

23. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (सी) का उल्लेख करना उचित होगाः

सी.

“14. अधिस्थगन।—(1) .....

(ए);

(बी)।;

(ग) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई;

डी.

.....”

ई.

24. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को लागू करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए रोक है। यह स्पष्ट है कि एक बार सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण निषेध है।"सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित" शब्द महत्वपूर्ण हैं। विधायी इरादा स्पष्ट है कि सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, किसी भी सुरक्षा हित को रोकने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई सहित सभी कार्रवाई निषिद्ध हैं।25. आई. बी. सी. की धारा 238 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगाः

एफ.

जी.

“238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान।—द.

इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।”

एच.

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आई. बी. सी. के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।

27. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आई. बी. सी. अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और आई. बी. सी. की धारा 238 के प्रावधानों को देखते हुए, आई. बी. सी. के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रबल होंगे।इस संबंध में एक संदर्भ इस निर्णय पर रखा जा सकता है

बी.

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य **7,** प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड **8** और घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड के मामलों में न्यायालय ने निदेशक और अन्य के माध्यम से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से **9.**

सी.

28. अपीलार्थी बैंक का यह तर्क है कि विचाराधीन बिक्री 13 दिसंबर 2018 को इसकी पुष्टि पर पूरी हो गई थी और इस प्रकार, विद्वान एन. सी. एल. टी. द्वारा 3 जनवरी 2019 को याचिका को स्वीकार करने से उक्त बिक्री प्रभावित नहीं होगी।टी. पी. अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि भुगतान का एक हिस्सा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बाद प्राप्त हुआ था, यह अपीलकर्ता बैंक को बिक्री के अनुसरण में उक्त धन प्राप्त करने से वंचित नहीं करेगा जो पहले ही पूरी हो चुकी है।इस संबंध में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

डी.

ई.

29. जहां तक विद्याधर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही संपत्ति की पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया गया है, बिक्री का लेन-देन प्रभावी होगा और स्वामित्व उस लेनदेन पर पारित होगा।इस न्यायालय ने आगे कहा है कि वास्तविक परीक्षा पक्षों का इरादा है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षों को संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करने का इरादा रखना चाहिए और उन्हें यह भी इरादा रखना चाहिए कि कीमत का भुगतान या तो प्रेजेंटी में

या भविष्य में किया जाएगा।हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 2 ने न केवल वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित किया था, बल्कि इसे पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया था, उप-पंजीयक के समक्ष इसके निष्पादन को स्वीकार किया था, जिसके समक्ष बिक्री प्रतिफल के शेष हिस्से का भुगतान किया गया था और उसके बाद दस्तावेज़ पंजीकृत किया गया था।

एफ.

जी.

7 (2018) 1 एससीसी 407 8 (2018) 18 एससीसी 786 9 (2021) 9 एससीसी 657

एच.

30. बी. अरविंद कुमार (उपरोक्त) के मामले में, विचाराधीन संपत्ति एक सूट संपत्ति थी और एक सार्वजनिक नीलामी में बेची गई थी।जिला न्यायाधीश, सिविल और सैन्य स्टेशन, बैंगलोर द्वारा बिक्री की पुष्टि की गई थी।इस न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है वह यह है कि जब किसी संपत्ति को न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाता है और बोली स्वीकार की जाती है और अदालत द्वारा खरीददार के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जाती है, तो बिक्री निरपेक्ष हो जाती है और स्वामित्व खरीदार में निहित हो जाता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खरीददार को बिक्री प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है जब बिक्री पूर्ण हो जाती है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब नीलामी खरीदार अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि पर स्वामित्व प्राप्त करता है और ऐसी बिक्री और स्वामित्व का प्रमाण देने वाला एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो अदालत से हस्तांतरण के किसी भी विलेख पर विचार नहीं किया जाता है या इसकी आवश्यकता नहीं होती है।इसके अतिरिक्त, उक्त मामले में, अदालत ने पाया कि बिक्री प्रमाण पत्र स्वयं पंजीकृत था।

बी.

सी.

31. कालियापेरुमल (सुप्रा) के मामले में भी बिक्री विलेख आंशिक भुगतान पर पंजीकृत किया गया था।हालांकि, बिक्री विलेख के पंजीकरण के बावजूद, उक्त मामले के तथ्यों में, अदालत ने माना कि जो महत्वपूर्ण था वह पक्षों का इरादा है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आम

तौर पर संपत्ति का स्वामित्व और स्वामित्व बिक्री विलेख के पंजीकरण पर खरीददार को दिया जाएगा जो बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा।हालाँकि, यह एक अपरिवर्तनीय नियम नहीं था।जो सर्वोपरि था, वह पक्षों का इरादा था।उक्त मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों का इरादा था कि संपत्ति का स्वामित्व विक्रेताओं द्वारा पूर्ववर्ती शर्त के रूप में संपूर्ण बिक्री पर विचार की प्राप्ति के बाद ही अपीलार्थी को हस्तांतरित किया जाएगा।बिक्री विलेख की व्याख्या पर, न्यायालय ने पाया कि स्वामित्व का उद्देश्य केवल शेष राशि के भुगतान पर पारित किया जाना था।32. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामला एक वैधानिक बिक्री से उत्पन्न होता है।बिक्री उक्त नियमों के नियम 8 और 9 द्वारा नियंत्रित होगी।बिक्री तभी पूरी होगी जब नीलामी खरीदार पूरा भुगतान करेगा और बिक्री की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिकृत अधिकारी उक्त नियमों के परिशिष्ट 5 में दिए गए प्रपत्र में खरीदार के पक्ष में संपत्ति की बिक्री का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

33. शकीना और एक अन्य बनाम बैंक ऑफ इंडिया के मामले में और

अन्य **10,** जो एस**.** ए**.** आर**.** एफ**.** ए**.** ई**.** एस**.** आई**.** अधिनियम से उत्पन्न एक मामला था**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी सं**. 3** के पक्ष में जारी बिक्री प्रमाण पत्र।

10 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1059 ए

एच.

1103

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मेसर्स आर. सी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी और बिक्री प्रमाण पत्र जारी होने पर बिक्री प्रक्रिया पूरी हो गई थी।एस. कार्तिक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने भी इसी का पालन किया है।

34. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, शेष राशि अपीलार्थी बैंक द्वारा 8 मार्च 2019 को स्वीकार कर ली गई है।उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के तहत विचार की गई वैधानिक योजना के तहत बिक्री केवल 8 मार्च 2019 को पूरी होगी।मान लीजिए, यह तारीख 3 जनवरी 2019 के काफी बाद आती है, यानी जिस तारीख को सी. आई. आर. पी. शुरू हुआ

था और स्थगन का आदेश दिया गया था।इस प्रकार, हम अपीलार्थी बैंक की ओर से इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि आंशिक भुगतान की प्राप्ति पर बिक्री पूरी हो गई थी।

बी.

सी.

35. आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (सी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो किसी अन्य कानून पर ओवरराइडिंग प्रभाव डालते हैं, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई भी कार्रवाई, जिसमें सरफेसी अधिनियम के तहत कोई भी कार्रवाई शामिल है, निषिद्ध है।हमारा विचार है कि एक बार सी. आई. आर. पी. शुरू होने और स्थगन का आदेश दिए जाने के बाद अपीलकर्ता बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रख सकता था।

डी.

36. जहाँ तक अपीलकर्ता बैंक के इस तर्क का संबंध है कि निगमित देनदार द्वारा दायर याचिका दुर्भावनापूर्ण थी, हम उक्त विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।अपीलार्थी बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सभी विवरणों का कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर याचिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।जहाँ तक परिसमापन आदेश पारित किए जाने के संबंध में विवाद का संबंध है, वह पहले से ही विद्वान एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती के अधीन है। इस प्रकार, हमें इसके संबंध में कोई अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है।

ई.

एफ.

37. इसलिए, हम पाते हैं कि 15 जुलाई 2020 को ज्ञात एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित समवर्ती आदेशों और 26 मार्च 2021 को ज्ञात एन. सी. एल. ए. टी. में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है।

38. नतीजतन, वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

जी.

निधि जैन

याचिका खारिज

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एच.